न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 66 / 2018
तारीख दायर : 28.08.2018

अनवान

1. हंसा देवी पत्नी शान्तीलाल जाति कंजर निवासी सुई सरथला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. लादी पुत्री छीतर जाति रेगर निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. जेती पत्नी छीतर जाति रेगर निवासी जगपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. दल्लु बेवा गंगाराम जाति रेगर निवासी जगपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. गोपी पिता भवाना जाति रेगर निवासी जगपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. सोजी पिता भवाना जाति रेगर निवासी जगपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. देउ पिता भवाना जाति रेगर निवासी जगपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश तम्बोली (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. विपक्षी संख्या 5 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 27.02.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की मौजा जगपुरा पटवार मण्डल धामणिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में आराजी संख्या 378 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 398 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। ग्राम जगपुरा पटवार मण्डल धामणिया तहसील माण्डलगढ़ में आराजी संख्या 400 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 401 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 402 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 403 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि आराजी संख्या 378 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 398 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि में सजबेल ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने का एक कदिमाना रास्ता करीब 12 बाई 12 फीट चौड़ा रास्ता चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। प्रार्थीगण की आराजियात में पहुँचने का एक मात्र रास्ता ग्राम जगपुरा से आराजी संख्या 408 से होता हुआ विपक्षीगण की दक्षिणी मेर आराजी संख्या 403 व 400 से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी में पहुँचता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की आराजियात में पहुँचने का अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे है। विपक्षीगण ने उक्त अंकित रास्ते के उपयोग उपभोग में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं की किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने के कारण विपक्षीगण आये दिन झगड़ा फसाद कर रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लग गये तथा

विपक्षीगण ने दिनांक 20.07.2018 को उक्त अंकित रास्ते के उपयोग उपभोग से बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपने खाते की आराजियात पर आने जाने सजबेल आदि लाने ले जाने से महरूम हो गये तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता बन्द हो जाने के कारण प्रार्थीगण को असहनीय क्षति हो रही है। न्याय की दृष्टि से उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक हो गया है अन्यथा प्रार्थीगण को असहनीय क्षति होगी तथा उक्त प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि में काश्त करने से महरूम रह जायेंगे। प्रार्थीगण उपर्युक्त अंकित रास्ते की डी.एल.सी. राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण खाते की नकले व नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें प्रार्थीगण डी.एल.सी. राशि जमा कराने को तैयार है।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से दिनांक 03.07.2019 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 12.12.2019 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकन किया गया कि मौजा जगपुरा की आराजी संख्या 378 रकबा 6.08 बीघा, आराजी संख्या 398 रकबा 3.05 बीघा हंसा देवी पत्नी शांतिलाल कंजर निवासी सुई 133/193 लादी पुत्री छीतर जेती पत्नी छीतर रेगर 60/193 साकिन देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त आराजी के लिए रास्ता चाहा गया है। मौजा जगपुरा की आराजी संख्या 400 व 403 दल्लु बेवा गंगाराम गोपी सोजी सुशीला पिता राजू रेगर के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी संख्या 400 व 403 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 378 व 398 में पहुँचने के लिए रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। आराजी संख्या 378 व 398 में पहुँचने के लिए आराजी संख्या 408 तक सरकारी रास्ता मौजूद है, उससे आगे प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 403 व 400 में होकर आराजी संख्या 378 में पहुँचते है। आराजी संख्या 403 व 400 में 13 फीट रास्ता देने पर प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 400 में से 03 बिस्वा भूमि व आराजी संख्या 403 में से 01 बिस्वा कुल 04 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। डी.एल.सी. दर 220230/– रूपये प्रति बीघा से 44046/– बनती है। दुगनी 88092/– रूपये है।

दिनांक 27.02.2020 को पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौजा जगपुरा पटवार मण्डल धामणिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 378 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 398 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर आने जाने के लिए ग्राम जगपुरा से आराजी संख्या 408 से होता हुआ विपक्षीगण की दक्षिणी मेर आराजी संख्या 403 व 400 से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक धामणियां तहसील माण्डगलढ़ की रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति निम्न प्रकार पाई गई।

प्रार्थीगण द्वारा मौजा जगपुरा पटवार मण्डल धामणिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 378 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 398 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर आने जाने के लिए ग्राम जगपुरा से आराजी संख्या 408 से होता हुआ विपक्षीगण की दक्षिणी मेर आराजी संख्या 403 व 400 से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को कृषि भूमि आराजी संख्या 378 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 398 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 13 जगपुरा पटवार मण्डल धामणिया तहसील माण्डलगढ़ पर पहुँचने के लिए एवं सजबैल, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 400 व 403 में से 13 फीट चौडे रास्ते हेतु आराजी संख्या 400 में से 03 बिस्वा भूमि व आराजी संख्या 403 में से 01 बिस्वा कुल 04 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु 251 (क) में राजस्थान सरकार की संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1) (।।) (ä) के अनुसार 220230/– रूपये प्रति बीघा डी0एल0सी0 की दर से भूमि 04 बिस्वा के 44046/– रूपये की दुगुनी राशि 88092/– रूपये राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा में जमा करवाने पर गैर मू0 रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक आम रास्ता रहेगा।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(त्रिलोक चन्द मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.02.28 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: